2 सितम्बर, 2015 — देशव्यापी हड़ताल

साथियों,

केन्द्र व राज्य सरकारों ने पिछले एक वर्ष में मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के अनेक अधिकार और लाभों से वंचित कर कारखाने मालिकों को ''लगाओ और भगाओ'' के निरंकुश अधिकार दे दिये हैं। श्रम कानूनों में संशोधनों के साथ ही रेल्वे, रक्षा और वित्तीय क्षेत्रों में असीमित विदेशी निवेश लाकर सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार ने 22 जुलाई 2015 को विधानसभा में बिना किसी चर्चा के गुपचुप तरीके से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों का प्रस्ताव पारित करा लिया है।

- औद्योगिक विवाद अधिनियम में किये गये संशोधन किये जाने से 300 मजदूरों से कम संख्या वाले उद्योगों के मालिक मनमाने रूप से मजदूरों की छंटनी, कारखाना बन्दी कर सकेंगे, इसके लिये किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
- श्रमिकों की सेवा समाप्ति सहित सभी विवादों में केवल वही यूनियन प्रतिनिधित्व कर सकेगी जिसे सरकार मान्यता देगी।
- कारखाना अधिनियम में संशोधन कर 8 घण्टे की जगह 12 घण्टे कार्य दिवस कर दिया गया है।
- 40 से कम श्रमिक संख्या वाले कारखानों में कोई श्रम कानून लागू नहीं होगा।
- बीमा भविष्य निधि योजना को ऐच्छिक किया जा रहा है। इस प्रकार के कई और मजदूर विरोधी संशोधन किये गये है जिससे श्रमिक बन्धुआ मजदूर बन जायेगा।

केन्द्रीय श्रम संगठनों बी.एम.एस., एटक, इंटक, सीटू, एच.एम.एस. सेवा, कोयला परिवहन, डाक, बी.एस.एन.एल., बीमा, बैंक, राज्य व केन्द्र सरकार के कर्मचारी महासंघों ने केन्द्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं अपनी मांगों को लेकर 2 सितम्बर 2015 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आव्हान किया है।

आईये निम्नलिखित मांगों को लेकर 2 सितम्बर की हड़ताल सफल बनाये।

1. श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लों।
2. 15 हजार रू. न्यूनतम वेतन लागू करो।
3. ठेकेदारी प्रथा बन्द करो, बीमा, पी.एफ., पेंशन, ग्रेच्युटी लागू करो।
4. ट्रेड यूनियन अधिकारों पर रोक लगाना बन्द करो।
5. मंहगाई रोको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सभी को 35 किलो अनाज 2 रू. की दर पर उपलब्ध कराओ।
6. सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण एवं विदेशी निवेश पर रोक लगाओ।

- अपीलकर्ता संगठन -

बी.एम.एस., इंटक, एटक, सीटू, एच.एम.एस., सेवा, दूरसंचार, बैंक, बीमा, रक्षा, रेल्वे, केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी महासंघ